न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 99/2020
GCMS No.- : 2020/00223

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया, जाति भाम्बी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर। 2. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, ? जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।		1. सुगरी पत्नी हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली। 2. बलदेव पुत्र हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली। 3. प्रेम पुत्री हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली। 4. कंचन पुत्री हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली। 5. गीता पुत्री हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली। 6. लक्ष्मी पुत्री हेमा नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुगरी पत्नी हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली। 7. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.07/10/2020

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

दिनॉक:– 23/06/2021

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा [illegible] हलका रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण, जिला प[illegible] खसरा नम्बर 1901 [illegible] भूमि रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी [illegible] भूमि पर रिकोर्ड में वादीगण 2/3 हिस्से यानि 3 बीघा 12 बिस्वा [illegible] दर्ज [illegible] से अनुसार वादीगण [illegible] खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज [illegible] आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले हुई है व हिस्सानुसार सभी का प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा । वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेड़बन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 2/3 हिस्से यानि 3 बीघा 12 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीगण का अलग सें कब्जा व क़ाश्त है वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 08.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है वादीगण अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार प्रभू पुत्र मूला अविवाहित,नाऔलाद फोत हो चु[illegible] खातेदार के [illegible] भाई हेमा पुत्र नाऔलाद फोत होने पर प्रभू पुत्र मूला के कानूनी [illegible] प्रभू पुत्र मूला था जो भी फोत हो चुका है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी [illegible] है जिनको इस वाद मूला के वारिसान होने के कारण उसके हिस्से की भूमि के हक [illegible] मूला के ओर कोई में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 पक्षकार बनाया गया है प्रभू पुत्र मूला के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार सतोष पुत्री हेमा ना.बा.फोत हो चुकी है। उक्त खातेदार के ना.बा.फोत होने पर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सुगरी पत्नी हेमा कुदरती वलिया माता होन्ने के कारण उसके हिस्से की भूमि के हकदार है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 08/08/2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 07 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ़ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1901 में वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1901 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया ज़ाकर [illegible] किया गया। तहसीलदार, पत्रांक/कोर्ट/2021/10 दिनांक 04/01/2021 [illegible] 1 द्वारा प्राथमिक जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1259 दिनांक 0[illegible] प्रस्तुत डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाज[illegible] की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकु[illegible] ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1901 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	प्रेम कुचेरिया पुत्र चेनाराम कुचेरिया कौम भाम्बी सा.मोहन नगर ,ब्यावर तहसील - ब्यावर जिला-अजमेर हि. 1/2, चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम मेगवाल सा.बाइसा तहसील-मारवाड. जक्शन जिला- पाली हि.1/2,खातेदार।	1901	03-13	बारानी अव्वल	1.82
2	सुगरी पत्नि हेमाराम हि.1/6, बलदेव पुत्र हेमाराम हि.1/6, प्रेम पुत्री हेमाराम हि.1/6 कंचन पुत्री हेमाराम हि. 1/6,गीता पुत्री हेमाराम हि.1/6,लक्ष्मी पुत्रि हेमाराम हि.1/6,कौम भाम्बी सा. देह खातेदार।	1901/1	01-16	बारानी अव्वल	0.92

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2021 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण**

बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया, जाति भाम्बी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, ? जाति मेघवाल, निवासी गांव बाइसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

प्रतिवादीगण:

1. सुगरी पत्नी हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली।
2. बलदेव पुत्र हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली।
3. प्रेम पुत्री हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली।
4. कंचन पुत्री हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली।
5. गीता पुत्री हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली।
6. लक्ष्मी पुत्री हेमा नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुगरी पत्नी हेमा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली।
7. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **मु0न0 :रा0वा0 स0: 99/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1901 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	प्रेम कुचेरिया पुत्र चेनाराम कुचेरिया कौम भाम्बी सा.मोहन नगर ,ब्यावर तहसील – ब्यावर जिला–अजमेर हि. 1/2, चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम	1901	03–13	बारानी अव्वल	1.82

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

	मेगवाल सा.बाइसा तहसील–मारवाड़ जक्शन जिला– पाली हि.1/2,खातेदार।				
2	सुगरी पत्नि हेमाराम हि.1/6, बलदेव पुत्र हेमाराम हि.1/6, प्रेम पुत्री हेमाराम हि.1/6 कंचन पुत्री हेमाराम हि.1/6,गीता पुत्री हेमाराम हि. 1/6,लक्ष्मी पुत्रि हेमाराम हि.1/6,कौम भाम्बी सा.देह खातेदार।	1901/1	01–16	बारानी अव्वल	0.92

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदर्मे मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजान:–	05–00	मिजान:–	–Nil–

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो के फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested